उत्तर प्रदेश सरकार
उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड
19 सी, तुलसी गंगा कॉम्पलेक्स, विधानसभा मार्ग,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश–226001

महत्वपूर्ण सूचना

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों पर विमर्श/विश्लेषण के संबंध में चेतावनी

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024

संख्या–पीआरपीबी–बी–मिस–4/2024 दिनांकः मार्च, 05 ,2026

उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कुछ व्यक्ति सोशल मीडिया पर उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की होने वाली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों या उनकी कंटेट पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार कर रहे हैं।

2. **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024** के प्रावधानों के तहत ऐसी सभी गतिविधियाँ सख्त रूप से प्रतिबंधित हैं। संबंधित प्रावधान इस प्रकार हैं:–

धारा–2(1)(ट).अनुचित साधन

क0सं0	आपराधिक कृत्य	दण्ड का प्रावधान
	धारा–2(1)(ट).अनुचित साधन– इस अधिनियम के अधीन परीक्षा के दौरान नकल, अनधिकृत सहायता, उपकरणों का उपयोग, प्रश्नपत्र/उत्तर कुंजी का लीक–प्राप्त–प्रसारण तथा कंप्यूटर प्रणाली से छेड़छाड़ जैसे सभी अनुचित साधनों प्रतिबंधित है।	
1	**धारा–4**–यदि किसी परीक्षार्थी द्वारा सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग किया जाता है।	**धारा–13(1)** में यह प्रावधान है कि धारा–4 की प्रक्रिया का अनुपालन करके ऐसे परीक्षार्थी का परीक्षा परिणाम रोक लिया जायेगा और उस कलेण्डर वर्ष के उत्तरवर्ती एक कलेण्डर वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा से **DEBAR** किया जा सकता है। **ऐसे अभ्यर्थियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा–318(2) छल के अन्तर्गत कार्यवाही भी की जा सकती है। इस धारा में 03 वर्ष की सजा का**

क0सं0	आपराधिक कृत्य	दण्ड का प्रावधान
		प्रावधान है एवं अपराध अजमानतीय है।
2	**धारा–5**–ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो विधि पूर्वक सार्वजनिक परीक्षा सम्पन्न कराने में कर्तव्यरत् है उनके द्वारा प्रश्नपत्र के सम्बंध में दी गयी किसी प्रकार की सूचना।	धारा–13(3) के अन्तर्गत न्यूनतम 02 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सजा तथा 02 लाख रुपये जुर्माने से जो अधिकतम 05 लाख तक दण्डनीय है, के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
3	**धारा–6**–ऐसा व्यक्ति जो सार्वजनिक परीक्षा सम्पन्न कराने मे विधिपूर्वक कर्तव्यरत् है उसके द्वारा अनुचित साधन का उपयोग कर किसी व्यक्ति को सदोष लाभ प्रदान/प्रयास किया जाता है।	धारा–13(3) के अन्तर्गत न्यूनतम 02 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सजा तथा 02 लाख रुपये जुर्माने से जो अधिकतम 05 लाख तक दण्डनीय है, के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
4	**धारा–7**–यदि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक परीक्षा में विधिपूर्वक परीक्षा केन्द्र पर कार्य करने हेतु अधिकृत नही है किन्तु उसके द्वारा परीक्षा केन्द्र में प्रवेश करने, अनुचित साधनों का प्रयोग करने हेतु किसी परीक्षार्थी को सहयोग प्रदान करता है।	धारा–13(3) के अन्तर्गत न्यूनतम 02 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सजा तथा 02 लाख रुपये जुर्माने से जो अधिकतम 05 लाख तक दण्डनीय है **तथा भारतीय न्याय संहिता धारा–319(2) के अर्न्तगत कार्यवाही हो सकती है। इस धारा में 05 वर्ष के दण्ड का प्रावधान है एवं अजमानतीय है। अतः उक्त धारा के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।**
5	**धारा–8**–यदि किसी सार्वजनिक परीक्षा में व्यक्तिगत रुप से या सामूहिक रुप से किसी परीक्षार्थी को अनुचित सहायता प्रदान करने हेतु परीक्षा प्राधिकरण अधिकारी या कर्मचारी, सम्बन्धित कार्यदायी संस्था का प्रबंधन या कर्मचारीगण, साल्वर गिरोह कार्य करते है।	धारा–13(4) के अन्तर्गत न्यूनतम 03 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सजा तथा 03 लाख रुपये जुर्माने से जो अधिकतम 10 लाख तक दण्डनीय है, के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
6	**धारा–9**–कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रुप से या सामूहिक रुप से या साल्वर गिरोह के साथ मिली भगत करके निरीक्षण दल, पर्यवेक्षण दल के अधिकारी के किसी व्यक्ति को धमकी/ उत्प्रेरणा/ प्रलोभन/ बाधा या बल पूर्वक करके परीक्षा को प्रभावित करता है।	धारा–13(4) के अन्तर्गत न्यूनतम 03 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सजा तथा 03 लाख रुपये जुर्माने से जो अधिकतम 10 लाख तक दण्डनीय है **तथा भारतीय न्याय संहिता धारा– 121(1), 131, 132, 221, 351 के अर्न्तगत कार्यवाही हो सकती है। इन धाराओं में क्रमशः 05 वर्ष, 03 माह, 02 वर्ष, 03 माह, 02 वर्ष से 07 वर्ष तक**

क0सं0	आपराधिक कृत्य	दण्ड का प्रावधान
		के दण्ड का प्रावधान है। धारा–121(1) व 351(3) अजमानतीय अपराध है, के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है।
7	**धारा–10**–यदि किसी के द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र से अन्य किसी स्थान पर परीक्षा आयोजित करायी जाती है।	**धारा–13(3)** के अन्तर्गत न्यूनतम 02 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सजा तथा 02 लाख रुपये जुर्माने से जो अधिकतम 05 लाख तक दण्डनीय है, के अन्तर्गत कार्यवाही अपेक्षित है।
8	**धारा–11**– धारा–9, 10 के उपबंधो पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना साल्वर गिरोह यदि धारा–11 में उल्लिखित प्रतिषिद्ध कार्य करेगा यथा परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा के दौरान या एक दिन पहले प्रवेश/प्रयास करेगा, परीक्षा से सम्बन्धित प्रश्न पत्र का परीक्षा से पहले अपने पास रखना, प्रकट करना, परीक्षा के दौरान व उससे पहले प्रश्नपत्र के किसी भाग को हल करना, परीक्षा में लगे लोगो को धमकाना, प्रलोभन देने का कार्य करेगा आदि।	**धारा–13(5)** के अन्तर्गत साल्वर गिरोह धारा–8, 9 या 11 के उपबंधो का उल्लंघन करता है तो वहॉ न्यूनतम 07 वर्ष, अधिकतम 14 वर्ष की सजा तथा 10 लाख रुपये जुर्माने से जो अधिकतम 25 लाख तक दण्डनीय है। यदि साल्वर गिरोह द्वारा आपराध की पुनरावृत्ति की जाती है तो आजीवन कारावास तथा 50 लाख से 01 करोड़ रुपये तक जुर्माना। **धारा–13(6)** के अनुसार यदि कोई व्यक्ति साल्वर गिरोह के साथ मिली भगत से परीक्षा कार्य में लगे किसी व्यक्ति को जीवन का खतरा पहुॅचा कर अनुचित लाभ देकर परीक्षा को प्रभावित करता है तो आजीवन कारावास तथा न्यूनतम 50 लाख से अधिकतम 01 करोड़ रुपये तक जुर्माना। अतः उपरोक्त धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
9	**धारा–12**–कोई भी व्यक्ति परीक्षार्थी के प्रदर्शन के मूल्यांकन, अभिलेख में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रुप से कोई हेरा–फेरी नही करेगा।	**धारा–13(3)** के अन्तर्गत न्यूनतम 02 वर्ष, अधिकतम 10 वर्ष की सजा तथा 02 लाख रुपये जुर्माने से जो अधिकतम 05 लाख तक दण्डनीय है, के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
10	**धारा–14**–कोई भी व्यक्ति जो विधि सम्मत रुप से परीक्षा कार्य सौपे जाने पर यदि अपने कर्तव्य की उपेक्षा जानबूझकर करता है और जिसके परिणाम स्वरुप सार्वजनिक परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र का प्रकटन हो सकता है या सार्वजनिक परीक्षा का संचालन प्रतिकूल रुप से प्रभावित हो	**धारा–14** का अपराध न्यूनतम 02 वर्ष, अधिकतम 07 वर्ष की सजा तथा जुर्माने से दण्डनीय है, के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	आपराधिक कृत्य	दण्ड का प्रावधान
	सकता है।	
11	**धारा–15 कम्पनियों का अपराध**–जहाँ इस अधिनियम के अधीन किसी भी नियम के उपबंध का उल्लंघन किसी कम्पनी द्वारा किया जाता है उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति को तदानुसार दण्डित किया जायेगा।	**धारा–15** के अपराध के लिए कम्पनी व उसमें शामिल प्रत्येक व्यक्ति के विरूद्ध उसके कृत्य के अनुसार उपरोक्त धाराओं में से जिस धारा का अपराध लागू होगा उसके अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।
12	**धारा–16 सम्पत्ति की कुर्की एवं अधिहरण**– इस अधिनियम के अधीन साल्वर गिरोह के सदस्य के रुप में या अकेले धारा–8,9 व 11 के अधीन अपराध करने पर इस सम्बंध में कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के स्तर से की जानी है। विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान कुर्की की रिपोर्ट जिला मजिस्ट्रेट को दी जायेगी।	
13	**धारा–17 संज्ञान एवं विचारण**– इस अधिनियम के अधीन **सभी अपराध संज्ञेय, गैरजमानतीय एवं अशमनीय है,** तथा **विवेचना पुलिस उपाधीक्षक /सहायक पुलिस आयुक्त के स्तर** के अधिकारी द्वारा की जायेगी। इस अधिनियम के अधीन सभी **अपराधों का विचारण सत्र न्यायालय** द्वारा किया जायेगा।	

3. अतः सभी कंटेंट क्रिएटर्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और व्यक्तियों को चेतावनी दी जाती है कि वे किसी भी प्रकार से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की परीक्षा प्रश्न पत्रों या उनकी सामग्री पर चर्चा, विश्लेषण या प्रसार न करें। किसी भी प्रकार का उल्लंघन **उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम, 2024** के प्रावधानों के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई को आमंत्रित करेगा, साथ ही अन्य लागू कानून भी प्रभावी होंगे।

4. उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सभी अभ्यर्थियों और हितधारकों से निवेदन करता है कि वे परीक्षाओं की पवित्रता बनाए रखने में सहयोग करें और ऐसे किसी भी प्रतिबंधित सामग्री में संलग्न या उसे बढ़ावा न दें।

(सत्यार्थ अनिरूद्ध पंकज)
अपर सचिव, भर्ती /परीक्षा नियंत्रक,
उ0प्र0पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड,
लखनऊ।